

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग मुजफ्फरनगर।
पत्रांक :- 185 / 14-1 मुजफ्फरनगर दिनांक, 17/07/2021।
सेवा में,

प्रादेशिक प्रबन्धक(रिटेल)
मै0 भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि0
अबू का मकबरा केसरगंज
मेरठ।

विषय- जनपद मुजफ्फरनगर में मुजफ्फरनगर -सहारनपुर मार्ग (एस0एच0-58) कि0मी0 चैनैज-13.200 की बायीं पटरी पर खसरा संख्या-128 ग्राम बेगमपुर, तहसील-सदर, जिला-मुजफ्फरनगर में मै0 भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि0 मेरठ के प्रस्तावित रिटेल आऊटलेट के पहुंच एवं निकासी मार्ग में प्रभावित 0.2024 है0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 06 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- ऑन लाईन प्रस्ताव संख्या- FP/UP/Approach/ 118062/ 2020 एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) लखनऊ का पत्रांक-8 बी0/यू0 पी0/06/53/2021/ एफ0सी0/196 दिनांक- 10.07.2021।

महोदय,

कृपया भारत सरकार के उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र दिनांक-10.07.2021 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जो मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण)/ नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को सम्बोधित एवं आपको भी पृष्ठांकित है। उक्त पत्र के माध्यम से मुजफ्फरनगर -सहारनपुर मार्ग (एस0एच0-58) कि0मी0 चैनैज-13.200 की बायीं पटरी पर खसरा संख्या-128 ग्राम बेगमपुर, तहसील-सदर, जिला-मुजफ्फरनगर में मै0 भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि0 मेरठ के प्रस्तावित रिटेल आऊटलेट के पहुंच एवं निकासी मार्ग में प्रभावित 0.2024 है0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 06 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध सैद्धान्तिक स्वीकृति कतिपय शर्तों के अधीन प्रदान की गयी है।

सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनांक-10.07.2021 में उल्लिखित शर्त संख्या-3 व शर्त संख्या-4 के अनुपालन में क्षतिपूरक वनीकरण एवं वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की धनराशियों का आंकलन निम्नानुसार है-

1-क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु आवश्यक धनराशि-					
शर्त संख्या	प्रभाग का नाम	क्षतिपूरक वृक्षारोपण का क्षेत्रफल(है0में)	दर	धनराशि (रू0में)	भुगतान किये जाने सम्बन्धी विवरण
1	2	3	4	5	6
शर्त संख्या-3	मुजफ्फरनगर वन प्रभाग	0.21 है0 अवनत वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं अनुरक्षण हेतु आवश्यक धनराशि		85000.00	प्रयोक्ता एजेंन्सी के ई-पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न चालान से
2- संरक्षित वन का शुद्धवर्तमान मूल्य (N.P.V) की धनराशि					
शर्त संख्या-4	मुजफ्फरनगर वन प्रभाग	0.2024 है0	626000.00 प्रति है0	126703.00	
		योग-		211703.00	

क्रमशः2

अतः भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र की छाया प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि कृपया सैद्धान्तिक में उल्लिखित शर्त संख्या-3 के अनुपालन में 0.21 है० अवनत वन भूमि में वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक अनुरक्षण हेतु धनराशि रुपये-85000.00(रुपये पचासी हजार मात्र) एवं शर्त संख्या-4 के अनुपालन में 0.2024 है० संरक्षित वन भूमि का शुद्धवर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की धनराशि रुपये-126703.00 (रुपये एक लाख छब्बीस हजार सात सौ तीन मात्र), कुल योग रुपये-2,11,703.00 (दो लाख ग्यारह हजार सात सौ तीन मात्र) प्रयोक्ता एजेंसी के ई-पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न चालान से कैम्पा फण्ड में नियमानुसार चालान जनरेट करते हुए, उक्त धनराशि जमा कराने का कष्ट करें तथा साथ ही भारत सरकार द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनांक 10.07.2021 में उल्लिखित समस्त शर्त संख्या-1 से 17 तक की अनुपालन आख्या / प्रमाण पत्र / वचनबद्धताएँ इस कार्यालय को यथा शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।


(सूरज)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर।

संख्या / दिनांकित ।

- प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 1-मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,(वन संरक्षण)उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
 - 2-वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सहारनपुर वृत्त सहारनपुर ।
 - 3- क्षेत्रीय वन अधिकारी मुजफ्फरनगर।


(सूरज)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर।



पत्र सं० 8वी/यू0पी0/06/53/2021/एफ.सी. /196

दिनांक: 10.07.2021

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी,
17, राणा प्रताप मार्ग,
लखनऊ, उ0प्र0।

Online Proposal No. FP/UP/Approach/118062/2020

विषय: जनपद मुजफ्फरनगर में मुजफ्फरनगर-सहारनपुर मार्ग(एस0एच0-59) किमी0 चैनेज-13.200 की बांयी पटरी पर खसरा सं०-128 भाग, ग्राम बेगमपुर, तहसील-सदर, जिला-मुजफ्फरनगर में मे० भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि०, मेरठ के प्रस्तावित रिटेल आउटलेट की स्थापना एवं रिटेल आउटलेट के प्रवेश एवं निकास मार्ग हेतु 0.2024 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 06 पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ: मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश का पत्रांक सं०-4007/11-सी-FP/UP/Approach/118062/2020, लखनऊ, दिनांक - 29.06.2021.

महोदय,

उपरोक्त मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश का पत्रांक सं०-1987/11-सी-FP/UP/Approach/118062/2020, लखनऊ, दिनांक - 12.02.2021 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर वन(संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति माँगी थी।

प्रकरण में विचारोपरान्त गुझे आपको यह सूचित करना है कि केन्द्र सरकार जनपद मुजफ्फरनगर में मुजफ्फरनगर-सहारनपुर मार्ग(एस0एच0-59) किमी0 चैनेज-13.200 की बांयी पटरी पर खसरा सं०-128 भाग, ग्राम बेगमपुर, तहसील-सदर, जिला-मुजफ्फरनगर में मे० भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि०, मेरठ के प्रस्तावित रिटेल आउटलेट की स्थापना एवं रिटेल आउटलेट के प्रवेश एवं निकास मार्ग हेतु 0.2024 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 06 पौधों के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:-

1. Legal status of the forest land shall remain unchanged.
2. Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department for plantation of 210 trees in Farkpur Forest Block Muzaffarnagar Range, District-Muzaffarnagar at the cost of the User Agency. As far as practicable a mixture of local indigenous species will be planted and monoculture of a species has to be avoided.
3. The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.
4. The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 0.2024 ha. forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 in this regard.

Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.

6. User agency shall restrict the felling of trees to minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.

7. Greenery will be maintained by user agency around Periphery of petrol pump.

8. The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.

9. User agency shall use the land between entry and exit for plantation and conservation of trees, the same shall be demarcated by 2 feet wall.

10. Plantation shall also be done along the inside boundary of Fuel Station.

11. No violation of FCA certificate from concerned DFO shall be provided.

12. Certificate of DFO certifying that the proposed RO is not in close proximity of any existing RO in accordance with MORTH guidelines dated 24-07-2013 has to be provided.

13. The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.

14. The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.

15. Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.

16. All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through e-portal (<https://parivesh.nic.in/>).

17. The compliance report shall be uploaded on e-portal (<https://parivesh.nic.in/>).

After receipt of compliance report on fulfillment of all of the above conditions from the State Government, proposal will be considered for final approval under Section-2 of the Forest (Conservation) Act, 1980, by this office.

The order for transfer of forest land to user agency shall not be issued by the State Government till final approval order for diversion of forest land is issued by Government of India.

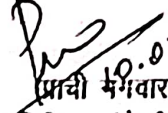
भवदीया,

(प्राची गंगवार)

उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

लेपि : (ई-मेल द्वारा)

1. प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, माधु भवन, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(ऑफ), वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ0प्र0।
3. मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ0प्र0।
4. प्रभागीय निदेशक, साठवा0 प्रभाग, गुजपफरनगर।
5. जिलाधिकारी, गुजपफरनगर।
6. प्रादेशिक प्रबंधक, मे0 भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि0, आवू का गकबरा, केसरगंज, गेरठ।
7. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रावली।

 10.07.2021
(प्राची मंगवार)

उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

जनपद मुजफ्फरनगर में भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि० केसरगंज मेरठ द्वारा मुजफ्फरनगर-सहारनपुर मार्ग (एस०एच०-59) चैनैज 13.200 खसरा नम्बर 128 भाग ग्राम बेगमपुर तहसील-सदर, जिला मुजफ्फरनगर में रिटेल आऊटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.2024 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु प्रस्ताव में क्षतिपूरक वनीकरण की परियोजना

क्षेत्र का नाम-सडक किनारे

क्षेत्रफल-0.21 हे०

प्रस्तावित रोपित पौध संख्या-210

भूमि का प्रकार-सामान्य क्षेत्र

प्रथम वर्ष- अग्रिम मृदा कार्य

क्र०सं०	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	दर	धनराशि
1	क्षेत्र का सर्वे सीमांकन कार्य	प्रति हे०	0.21	96.00	20.16
2	क्षेत्र का झाड़ी कटान कार्य कराना	प्रति हे०	0.21	3975.00	834.75
3	रेखांकन कार्य (गड्ढे हेतु)	प्रति गड्ढा	210	0.40	84.00
4	गड्ढा खुदान कार्य कराना (0.60×0.60×0.60)	प्रति गड्ढा	210	19.07	4004.70
5	अन्य आकस्मिक व्यय / औजारों की मरम्मत आदि	L.S	L.S	0	124.98
				योग-	5068.59

द्वितीय वर्ष- वृक्षारोपण कार्य

क्र०सं०	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	दर	धनराशि
1	गड्ढा भरान कार्य कराना	प्रति गड्ढा	210	1.25	262.50
2	पौधों का ढुलान कार्य कराना मझली थैली पौध (31 से 40 कि०मी०) 03 प्रतिशत अतिरिक्त सहित	प्रति पौध	217	22.10	4795.70
3	पौधारोपण मय तुरन्त सिचाई व थावला बन्दी कार्य	प्रति पौध	210	9.00	1890.00
4	निराई गुड़ाई कार्य (210×3बार)	प्रति पौध	630	1.40	882.00
5	पौधों की सिचाई (210×4बार)	प्रति पौध	840	2.30	1932.00
6	थावले बनाना व मिट्टी चढाना (210×2 बार)	प्रति पौध	420	0.90	378.00
7	अग्नि से बचाव हेतु झाड़ी कटान कार्य कराना 01 बार	प्रति हे०	0.21	3290.00	690.90
8	पौधों का मूल्य	प्रति पौध	210	80.00	16800.00
9	अन्य आकस्मिक व्यय	ल०सं०	0	0	1200.90
				योग-	28832.00

आगामी दस वर्षों तक पौधों का अनुरक्षण कार्य कराना

प्रथम वर्ष अनुरक्षण कार्य

क्र०सं०	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	दर	धनराशि
1	पौधों की निराई गुड़ाई कार्य कराना (210×4) तीन बार	प्रति पौध	840	1.40	1176.00
2	पौधों की थावला बन्दी कार्य कराना (210×3) दो बार	प्रति पौध	630.0	0.90	567.00
3	पौधों की सिचाई (210×4बार)	प्रति पौध	840	2.30	1932.00
4	अग्नि से बचाव हेतु झाड़ी कटान कार्य (02 बार)	प्रति हे०	0.42	3290.00	1381.80
5	अन्य आकस्मिक व्यय/कीटनाशक व उर्वरक / औजारों की मरम्मत	ल०सं०	ल०सं०	0	243.20
				योग-	5300.00

द्वितीय वर्ष अनुरक्षण कार्य

क्र०सं०	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	दर	धनराशि
1	पौधों की निराई गुड़ाई कार्य कराना (227×3) तीन बार	प्रति पौध	681	1.40	953.40
2	पौधों की थावला बन्दी कार्य कराना (227×2) दो बार	प्रति पौध	454.0	0.90	408.60
3	पौधों की सिचाई (227×4बार)	प्रति पौध	908	2.30	2088.40
4	अग्नि से बचाव हेतु झाड़ी कटान कार्य (02 बार)	प्रति हे०	0.42	3290.00	1381.80
5	अन्य आकस्मिक व्यय/कीटनाशक व उर्वरक / औजारों की मरम्मत	ल०सं०	ल०सं०	0	152.80
				योग-	4985.00

तृतीय वर्ष अनुरक्षण कार्य

क्र०सं०	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	दर	धनराशि
1	पौधों की निराई गुड़ाई कार्य कराना (227×3) तीन बार	प्रति पौध	681	1.40	953.40
2	पौधों की थावला बन्दी कार्य कराना (227×2) दो बार	प्रति पौध	454.0	0.90	408.60
3	पौधों की सिचाई (227×4बार)	प्रति पौध	908	2.30	2088.40
4	अग्नि से बचाव हेतु झाड़ी कटान कार्य (02 बार)	प्रति हे०	0.42	3290.00	1381.80
5	अन्य आकस्मिक व्यय/कीटनाशक व उर्वरक / औजारों की मरम्मत	ल०सं०	ल०सं०	0	500.80
				योग-	5333.00

चतुर्थ वर्ष अनुरक्षण कार्य

क्र०सं०	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	दर	धनराशि
1	पौधों की निराई गुड़ाई कार्य कराना (227×3) तीन बार	प्रति पौध	681	1.40	953.40
2	पौधों की थावला बन्दी कार्य कराना (227×2) दो बार	प्रति पौध	454.0	0.90	408.60
3	पौधों की सिचाई (227×4बार)	प्रति पौध	908	2.30	2088.40
4	अग्नि से बचाव हेतु झाड़ी कटान कार्य (02 बार)	प्रति हे०	0.42	3290.00	1381.80
5	अन्य आकस्मिक व्यय/कीटनाशक व उर्वरक / औजारों की मरम्मत	ल०सं०	ल०सं०	0	500.80
				योग-	5333.00

पंचम वर्ष अनुरक्षण कार्य

क्र०सं०	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	दर	धनराशि
1	पौधों की निराई गुड़ाई कार्य कराना (227×3) तीन बार	प्रति पौध	681	1.40	953.40
2	पौधों की थावला बन्दी कार्य कराना (227×2) दो बार	प्रति पौध	454.0	0.90	408.60
3	पौधों की सिचाई (227×4बार)	प्रति पौध	908	2.30	2088.40
4	अग्नि से बचाव हेतु झाड़ी कटान कार्य (02 बार)	प्रति हे०	0.42	3290.00	1381.80
5	अन्य आकस्मिक व्यय/कीटनाशक व उर्वरक / औजारों की मरम्मत	ल०सं०	ल०सं०	0	500.80
				योग-	5333.00

छठा वर्ष अनुरक्षण कार्य

क्र०सं०	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	दर	धनराशि
1	पौधों की निराई गुड़ाई कार्य कराना (227×3) तीन बार	प्रति पौध	681	1.40	953.40
2	पौधों की थावला बन्दी कार्य कराना (227×2) दो बार	प्रति पौध	454.0	0.90	408.60
3	पौधों की सिचाई (227×4बार)	प्रति पौध	908	2.30	2088.40
4	अग्नि से बचाव हेतु झाड़ी कटान कार्य (02 बार)	प्रति हे०	0.42	3290.00	1381.80
5	अन्य आकस्मिक व्यय/कीटनाशक व उर्वरक / औजारों की मरम्मत	ल०सं०	ल०सं०	0	500.80
				योग-	5333.00

सातवा वर्ष अनुरक्षण कार्य

क्र.सं.	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	दर	धनराशि
1	जमीनी की निशान गड्ढा कर कार्य करवाया (227*3) तीन बार	प्रति पीछा	681	1.40	953.40
2	जमीनी की धातुला चन्दो कर कार्य करवाया (227*2) दो बार	प्रति पीछा	454.0	0.90	408.60
3	जमीनी की सिंचाई (227*4 बार)	प्रति पीछा	908	2.30	2088.40
4	जमीनी की बरसात हेतु झाड़ी गटान कार्य (02 बार)	प्रति हे०	0.42	3290.00	1381.80
5	सभी आकारिक व्यय / जीवनाशक व उपरेशक / औजारो	ल०रा०	ल०रा०	0	500.80
				योग-	5333.00

आवृत्ति वर्ष अनुरक्षण कार्य

आठवां वर्ष अन्तरदाण कार्य

क्र.सं.	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	दर	घनराशि
1	पौधों की गिराई गुरुदाई कार्य कराना (210*2) तीन बार	प्रति पौध	420	1.40	588.00
2	पौधों की गिराई (210*1बार)	प्रति पौध	210	2.30	483.00
3	अग्नि से सचाव हेतु झाड़ी कटान कार्य (02 बार)	प्रति हे०	0.42	3290.00	1381.80
4	अन्य आवश्यक व्यय/कीटनाशक व उपरक / औजारों की मरम्मत	ल०सं०	ल०सं०	0	147.20
				योग-	2600.00

नवम वर्ष अनुरक्षण कार्य

क्र०स०	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	दर	धनराशि
1	पौधों की निराई गूड़ाई कार्य कराना (210×2) तीन बार	प्रति पौध	420	1.40	588.00
2	पौधों की सिंचाई (210×1बार)	प्रति पौध	210	2.30	483.00
3	आग्नि से बचाव हेतु झाड़ी कटान कार्य (02 बार)	प्रति हे०	0.42	3290.00	1381.80
4	अन्य आकस्मिक व्यय/कीटनाशक व उर्वरक / औजारों की मरम्मत	ल०सं०	ल०सं०	0	147.20
				योग—	2600.00

दसम वर्ष अनुरक्षण कार्य

दसम वर्ष अनुरक्षण कार्य					
क्र०सं०	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	दर	घनराशि
1	पौधों की निराई गंड़ाई कार्य कराना (210×2) तीन बार	प्रति पौध	420	1.40	588.00
2	पौधों की सिचाई (210×1बार)	प्रति पौध	210	2.30	483.00
3	अग्नि से बचाव हेतु झाड़ी कटान कार्य (02 बार)	प्रति हे०	0.42	3290.00	1381.80
4	अन्य आकस्मिक व्यय/कीटनाशक व उर्वरक / औजारों की मरम्मत	ल०सं०	ल०सं०	0	147.20
				योग—	2600.00

क्षतिपूरक वनीकरण योजना का सारांश

क्षतिपूरक वनीकरण योजना का सारांश		
क्र०सं०	कार्य का विवरण	कुल घनराशि
1	अग्रिम मदा कार्य	5068.59
2	वक्षारोपण कार्य	28832.00
3	प्रथम वर्ष अनुरक्षण	5300.00
4	द्वितीय वर्ष अनुरक्षण	4985.00
5	तृतीय वर्ष अनुरक्षण	5333.00
6	चतुर्थ वर्ष अनुरक्षण	5333.00
7	पंचम वर्ष अनुरक्षण	5333.00
8	छठा वर्ष अनुरक्षण	5333.00
9	सातवा वर्ष अनुरक्षण	500.80
10	आठवा वर्ष अनुरक्षण	2600.00
11	नवम वर्ष अनुरक्षण	2600.00
12	दसम वर्ष अनुरक्षण	2600.00
	योग-	73818.39
13	श्रमाश/मजदूरी में वृद्धि होने के कारण 10 प्रतिशत अतिरिक्त	7381.839
	कल योग	81200.23
	या	85000.00

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर।

(कुलदीप सिंह)
क्षेत्रीय वन अधिकारी
मुजफ्फरनगर

(सूरज)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

Proposal No- FP/UP/Approach/ 118062 /2020

0.2024 Ha. (P.F. land) Forest land proposed to be diverted for approach to BPCL Retail Outlet on Muzaffarnagar-Saharanpur road (Km. chainage 13.200, LHS) within 3 Km. of Rohana Khurd Toll Barrier, Khasera no. 128 (part of) village Begampur, Thehsil & Distt. Muzaffarnagar

" प्रस्तावित वन भूमि की एन0पी0वी0 (शुद्धवर्तमान मूल्य) की गणना

वन भूमि के शुद्धवर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की गणना—

- | | |
|--|-----------------|
| 1- हरियाली घनत्व— | 0.3 |
| 2- इको क्लास श्रेणी—III (Tropical Dry Deciduous Forest) | |
| 3- एन0पी0वी0 की दर प्रति है0 | रुपये—626000.00 |
| 4- आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल— | 0.2024 है0 |
| 5- कुल देय एन0पी0वी0 की धनराशि रुपये— | 126703.00 |

(कुलदीप सिंह)
क्षेत्रीय वन अधिकारी
मुजफ्फरनगर

(कुलदीप सिंह)
क्षेत्रीय वन अधिकारी
मुजफ्फरनगर

(सूरज)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर (सूरज)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर